

कार्यालय

पत्रांक: 3380 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 22.07.2020

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के श्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 22.07.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 99 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 24-मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर, मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, यमुनापुरम फेज-2 बुलन्दशहर, बीसा कालोनी बुलन्दशहर, मौ0प्रेमनगर, बुलन्दशहर, ईदगाह रोड बुलन्दशहर, मौ0आर0के0पुरम, बुलन्दशहर, मौ0मदरसा बुलन्दशहर, मौ0 साठा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, जयगोपाल कम्पाउण्ड, मौ0कृष्णा नगर, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, भूड शान्तीनगर नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के सामने गौरीशंकर महाविद्यालय वाली गली बुलन्दशहर, मौ0हरि एन्कलेव, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0पन्नीनगर, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, मौ0शिवपुरी स्टेट बैंक के सामने वाली गली, रेलवे रोड, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर, श्रीवाटिका कालोनी, निकट मानसरोवर कालोनी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर, गली नं0 2 अम्बा कालोनी, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, मौ0फैसलाबाद

बुलन्दशहर, बाल्मिकी बस्ती मौ० सरायधारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर, यदु बिहार राणा हॉस्पिटल के सामने वाली गली, न०पा०५० बुलन्दशहर, मोहन कुटी, बाईपास रोड बुलन्दशहर, तिवारी कम्पाउण्ड कामना ज्वैलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर, बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 75 हॉटस्पॉट— मौ० होली ब्रह्मनान खुर्जा, सराय शेख आलम, वार्ड नं०-14 खुर्जा, ग्राम फरीदपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम गेसूपुर वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० चौधरियान स्याना, मौ० मुफ्तीवाडा शिकारपुर, मौ० चन्द्रलोक कालौनी (नवलपुरा) खुर्जा, मौ० बुर्ज उस्मान खुर्जा, ग्राम गॉंगरोल वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ०पुरखा बाजार जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम कलौली, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, न्यू शिवपुरी खुर्जा, मौ० काजीखेल, नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम डरौरा विश्वनाथपुर वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, कुम्हारों का मौहल्ला, ग्राम बिगराऊ वि०ख० व तहसील स्याना, मौ०खटिकाना ग्राम मुनि, वि०ख० अर्निया तहसील खुर्जा, गली नं०-2 मुरारी नगर शिकारपुर रोड खुर्जा, ग्राम जटपुरा मुकीमपुर वि०ख० तहसील शिकारपुर, मौ०पठान टोला, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर खाजपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, जाटव वाला मौहल्ला, ग्राम गजरौला वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम बनभौरा वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, मौ०नौगंज शिकारपुर तहसील शिकारपुर, ग्राम आजमपुर उर्फ तोरई, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०पवित्रपुरी अनूपशहर, मौ० नेहरूगंज अनूपशहर, मौ० पुरानी मण्डी अनूपशहर, मौ० मीरा, अनूपशहर, मौ०सईदगढी नगर पंचायत औरंगाबाद तहसील सदर बुलन्दशहर, मौ०नयागाँव वि०ख०अगौता तहसील सदर बुलन्दशहर, ग्राम सनैता शफीपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम नैथला हसनपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हुर्थला वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम नेहरूपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा व मौ० चौक दुर्गा प्रसाद डिबाई, ग्राम सुरजावली वि०ख० अरनिया तहसील खुर्जा, कुम्हारों वाला मौहल्ला ग्राम चोंदपुर पूठी वि०ख० व तहसील स्याना, मौ०सरायुतफल्ला नई बस्ती सुदामापुरी गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, मौ०स्याना मिलन्दा नगर पंचायत औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कुटी ततारपुर वि०ख०अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जसर, वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, फायर स्टेशन वाली गली खुर्जा, ग्राम मुस्तफाबाद डडुआ, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम कसेर कंला, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम रिसालू, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, मौ०कोट कंला(द्वितीय) नगर पालिका क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम इमलिया, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बेगमपुर उर्फ जयरामपुर वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम जटपुरा, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, महादेव मन्दिर वाला मौहल्ला, ग्राम नया गाँव माजरा सहानपुर वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम लुहारली वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम दौलतपुर खुर्द वि०ख०दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम अगवाल वि०ख० व तहसील डिबाई, मौ०मोरी गेट कस्बा अनूपशहर, प्रदीप तौमर वाली गली ग्राम वलीपुर वि०ख०बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम जटापुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भौरा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद,दलीपगढी ग्राम अल्लाबास बातरी वि०ख०बी०बी० नगर तहसील स्याना, जाटव मौहल्ला ग्राम मनिया टीकरी वि०ख०जहाँगीराबाद तहसील स्याना, ग्राम सलैमपुर, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम ककरई वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, बाबू कबाडी वाला मौहल्ला, ग्राम अमरगढ वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, वैशाली कालौनी नगर पालिका परिषद खुर्जा, ग्राम करौरा वि०ख० अर्निया तहसील खुर्जा, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, एम ब्लॉक के०डी०ए० आवासीय कालौनी खुर्जा, शिव मन्दिर कांलोनी, निकट भारत गैस गोदाम ग्राम किला, वि०ख० व तहसील खुर्जा, मौ०कोट शेर खों, नगर पालिका क्षेत्र, शिकारपुर, अड्डे वाला मौहल्ला ग्राम दौलतपुर कंला, वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, ग्राम रिटौली वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद,मौ०गदिदयाना कस्बा व तहसील अनूपशहर, मौ०पुरानी तहसील कस्बा व तहसील अनूपशहर, ग्राम धतूरी वि०ख० व तहसील शिकारपुर, शिवाजी नगर, नगर पालिका क्षेत्र सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 22.07.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-1089 है, 1230 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में है। जनपद में 26 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जुलाई 22, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

K. M. 22/7/2020

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर